Fax & Phone: 0145-2431842
Email: PRINCIPAL.JLNMC.AJMR@RAJASTHAN.GOV.IN

कार्यालय प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, जवाहर लाल नेहरू आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं सामूहिक चिकित्सालय संघ, अजमेर

क्रमांक 2322 एकेडमिक–I/एमसीए/2021 दिनांक 01/12/21

नोटिस

इस महाविद्यालय के विभिन्न विभागों में राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प. 7(54)(252)(02)डीएमई/एकेड/2021–पार्ट जयपुर, दिनांक 30.11.2021 के अनुसरण में जूनियर रेजिडेंट के कुल 116 (एक सौ सोलह) पदों हेतु पूर्णतया अस्थायी/आवश्यक आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

विज्ञापित पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी अथवा बढ़ोतरी की जा सकती है।

उक्त पदों की योग्यता एवं अन्य शर्तों का विवरण निम्नुसार है :–

1.	शैक्षणिक योग्यता	जूनियर रेजीडेन्ट के पद हेतु – एम.बी.बी.एस एवं मेडिकल काउन्सिल इंडियन में स्थाई पंजीयन प्रमाण पत्र)
2	आयु सीमा	**अधिकतम 37 वर्ष,** **आयु सीमा में छूट के प्रावधान** अभ्यर्थियों का वर्ग — अधिकतम आयु में देय छूट राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के पुरूष — 5 वर्ष सामान्य वर्ग की महिला एवं राजस्थान राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) की महिला — 5 वर्ष राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की महिला — 10 वर्ष विधवा एवं विछिन्न विवाह (परित्यक्ता) महिला — अधिकतम आयु सीमा नहीं
3	कार्य की अवधि	दिनांक 01.12.2021 से 28.02.2022 (तीन माह) तक अथवा नीट पी.जी. काउंसिलिंग पूर्ण होने तक, दोनों में से जो पहले हो
4	मानदेय/स्टाईपेण्ड	चयनित अभ्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय देय होगा।
5	साक्षात्कार (Walk in interview) की तिथि, समय एवं स्थान	उक्त पदों पर चयन हेतु दिनांक 02.12.2021 को प्रातः 10.00 से 12.00 बजे तक कार्यालय प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक में साक्षात्कार के लिए आवेदन दिये जा सकेंगे। इच्छुक अभ्यार्थी आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 02.12.2021 को दोपहर 01.00 बजे से साक्षात्कार में उपस्थित हो सकते है।

आयु सीमा में छूट के प्रावधान:

अभ्यर्थियों का वर्ग	अधिकतम आयु में देय छूट
राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के पुरूष	5 वर्ष
सामान्य वर्ग की महिला एवं राजस्थान राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) की महिला	5 वर्ष
राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की महिला	10 वर्ष
विधवा एवं विछिन्न विवाह (परित्यक्ता) महिला	अधिकतम आयु सीमा नहीं

आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण –

1. आवेदन पत्र के साथ अपनी नवीनतम पासपोर्ट आकार की प्रमाणित फोटो।
2. सैकेण्डरी स्कूल परीक्षा के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति (जन्मतिथि के प्रमाण हेतु)।
3. शैक्षणिक योग्यता की समस्त अंकतालिकाओं की प्रमाणित प्रतियां मय अटेम्प प्रमाण पत्र एवं इन्टर्नशिप प्रमाण पत्र।
4. संस्थाई पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति (आर.एम.सी./एम.सी.आई)।
5. यदि अभ्यार्थी आरक्षित वर्ग का है, तो जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।
6. अनुभव प्रमाण पत्र, यदि हो।
7. महिला अभ्यार्थी के नाम अथवा उपनाम परिवर्तन के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र।
8. यदि अभ्यार्थी पूर्व से राज्य सेवा में कार्यरत है, तो नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।

उक्त पदों पर चयन हेतु आवेदन पत्र संलग्न प्रारूप में प्रत्येक कार्य दिवस को (पदों के भरे जाने तक) प्रातः 10.00 बजे से 12.00 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे। मध्यान्ह 12.00 बजे बाद साक्षात्कार हेतु आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

विशेष परिस्थितियों में साक्षात्कार की तिथि अथवा समय में परिवर्तन किया जा सकता है, जिसकी सूचना कॉलेज वेबसाईट पर डाल दी जाएगी।

अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। ऐसा कोई अभ्यार्थी जिसके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक सन्तान हो, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यार्थी को नियुक्ति के लिए निरर्हित नही समझा जावेगा, जब तक कि 1 जून 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होगी। साक्षात्कार हेतु आने वाले अभ्यार्थियों को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

चयनित अभ्यार्थी द्वारा बिना सूचना के लम्बे समय से अनुपस्थित रहने की स्थिति में उनकी नियुक्ति बिना किसी नोटिस के समाप्त कर दी जायेगी। चयनित अभ्यार्थी एक माह का नोटिस देकर अपने पद से त्याग पत्र दे सकेंगे। निर्धारित अवधि का नोटिस नहीं देने की स्थिति में उन्हें एक माह का मानदेय राजकोष में जमा करवाना होगा।

उक्त पदों पर चयनित चिकित्सकों को प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, के निर्देशानुसार कार्य संपादित करना होगा।

प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक

क्रमांक 51595-627 एकेडमिक–I/एमसीए/2021 दिनांक 01/12/2021

प्रतिलिपि निम्न को भेजकर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1 प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
2 अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3 अधीक्षक, ज.ला.ने चिकित्सालय, अजमेर।
4 प्रभारी अधिकारी, शैक्षणिक शाखा इस महाविद्यालय को।
5 समस्त आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, इस महाविद्यालय को।
6 नोडल अधिकारी, आई.टी. सैल, इस महाविद्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति को कॉलेज वेबसाईट पर अपलोड करावें।
7 निजी सहायक, प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, इस महाविद्यालय को।
8 महाविद्यालय नोटिस बोर्ड।

प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक

1/12/21